न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 218/2025(GCMS : 2025/335)

1. **लक्ष्छीराम** पुत्र श्री शेराराम जाति जाट निवासी गांव लालगढ जाटान वार्ड नम्बर 13, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **सुभाष** पुत्र श्री लचछीराम जाति जाट निवासी गांव लालगढ जाटान वार्ड नम्बर 13, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **आकाश** पुत्र श्री पवन कुमार जाति जाट निवासी सगांव मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **लूणाराम पुत्र शेराराम – फौत**
   1/1. **सरबती** पत्नी लूणाराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   1/2. **शारदा** पुत्री लूणाराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   1/3. **कृष्णलाल** पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   1/4. **रामेश्वरलाल** पुत्र लूणाराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. **रामनारायण पुत्र शेराराम – फौत**
   2/1. **प्रहलाद पुत्र रामनारायण** जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
   2/2. **सरोज पुत्री** रामानारायण जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. **विजयपाल** पुत्र लच्छीराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. **अजय चौधरी** पुत्र लच्छीराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर**
6. **नेतराम** पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी लालगढ़ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

10.12.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश बतरा एवं अप्रार्थी सं. 06 स्वयं उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी के खिलाफ अन्तर्ग[illegible] 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया हुआ है जिसमें प्रार्थी को पक्षकार बनाया गया। वाद में लच्छीराम पुत्र शेराराम को फौत बताकर उसके वारिसान

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

को पक्षकार बनाया गया जिसमें प्रार्थी संख्या 2 भी पक्षकार है। इस प्रकार जो वाद पेश किया गया था प्रारम्भिक रूप से मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ पेश किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपना पूर्ण रूप से जवाब पेश किया गया और जवाब पेश होने के बाद प्रार्थी संख्या 3 द्वारा उक्त वाद में पक्षकार बनने हेतु भी निवेदन किया गया और स्थगन आदेश को निरस्त करने का भी निवेदन किया गया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 नेतराम द्वारा जो वाद पेश किया गया है वह 2008 में पेश किया गया था और जानबूझकर धीरे धीरे वाद को आगे चलाते रहे परन्तु उस दौरान वाद खारिज होने पर पुनः वाद को नये नम्बर पर लेकर पैरवी करना आरम्भ कर देता है। नेतराम वाद को जानबूझकर लम्बा कर रहा था।

उनका आगे यह भी कथन है कि वर्तमान में जो पीठासीन अधिकारी है वह नेतराम के प्रभाव में है और प्रार्थीगण की सुनवाई किये बिना ही मुकदमे में प्रारम्भिक डिग्री करना चाहते है। इस सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि कल वे प्रारम्भिक डिग्री नेतराम के हक में जारी कर देगें। इससे स्पष्ट हो गया है कि वर्तमान पीठासीन अधिकारी नेतराम के प्रभाव में है और मुकदमा भी नेतराम के हक में हो जावेगा। इसलिए उनके प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना आवश्यक है।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थी को नेतराम द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। अभी प्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार बनाए बिना मुकदमा का निर्णय नहीं हो सकता क्योंकि प्रार्थी संख्या 3 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में जमाबन्दी में 181/3618 लालगढ़ में खातेदार है। इस प्रकार प्रार्थी जमाबन्दी के अनुसार खातेदार है और उसको जानबूझकर वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है और प्रार्थी की जमीन हड़पने की नेतराम की नीयत थी कि उसकी जमीन भी वह अपने हक में करवा लेवें।

उनका आगे यह भी कथन है कि प्रार्थीगण को वर्तमान पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि वह प्रार्थीगण के खिलाफ निर्णय कर देगें, जिस कारण प्रार्थीगण को अन्य न्यायालय में चाराजोरी करनी होगी, जिससे प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान होगा, इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के न्यायालय में 2008 से बंटवारे का प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थीगण जानबूझकर प्रकरण में देरी करने के लिए झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण पेश किया है। इसलिए यह मुंतकिली प्रार्थना खारिज करने योग्य है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने आनी बहस के समर्थन में 2020 DNJ [Rev.] 269 की प्रति पेश की है।

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी **संख्या 06** ने अपने लिखित **जवाब** में अंकित तथ्यों को दोहराते **हुए कथन किया है कि** लच्छीराम पुत्र श्री शेराराम को फौत दिखाया जाना बताया है इस सम्बन्ध में उसने ऐसा कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, जिसमें उसने लच्छीराम को फौत होने के लिए लिखा हो तथा यह मामला वर्ष 2008 से चल रहा है तब से लेकर आज तक मैने कोई ऐसा कथन न्यायालय में लच्छीराम की फौत होने के सम्बन्ध में नहीं किया है।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पिछले एक–डेढ़ वर्ष से सादुलशहर में कार्यरत है अगर उसकी जानकारी होती तो वह उनसे अपने पक्ष में निर्णय करवा लेता। उनकी, उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से कोई जानकारी नही है, प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप मिथ्या है।

उनका आगे यह भी कथन है कि जमाबन्दी में और विभाजन प्रस्ताव में, जिसके नाम से जितनी भूमि दर्ज है वह किसी भी कानूनी प्रक्रिया के बिना जमीन नहीं ली जा सकती है और ना ही उनकी ऐसी कोई इच्छा है या अदालत में उनके द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया हैं।

उनका आगे यह भी कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रकरण 2008 से लम्बित है जिसे 17 वर्ष हो चुके है। आज तक लच्छीराम, सुभाष व आकाश कभी भी न्यायालय में उपस्थित हीं नही हुए और ना ही उन्होनें कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया। इय प्रकार ये प्रकरण को लम्बित रखना चाहते है ताकि भूमि का विभाजन न हो सके। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं

मैनें, अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायलाय में धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रकरण पेश किया हुआ है। उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी में द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए, उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने [illegible] की है। इस न्यायालय को धारा 88, 53, 188 राजस्थान [illegible] के गुण दोष पर विचार नहीं करना है, अपितु इस [illegible] कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी को निष्पक्ष न्याय मि[illegible] की संभावना है अथवा नही,?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रार्थी लच्छीराम वगै. द्वारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इस आधार पर पेश किया गया है कि पीठासीन अधिकारी पर अप्रार्थी नेतराम के प्रभाव में होने के कारण उन्हें निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। प्रार्थी द्वारा यह आरोप केवल मात्र कयास के आधार पर लगाया है। अगर वर्तमान पीठासीन अधिकारी पर किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव होने सम्बन्धी कथन, यदि तर्क के लिए मान भी लिया जावे तो ऐसा प्रभाव होने सम्बन्धी आरोप जिले के अन्य सक्षम पीठासीन अधिकारियों पर भी लगाया जा है। मुकद्दमा मुंतकिली का कोई ठोस आधार होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा लगाया गया आरोप साधारण प्रकृति का है, जो कभी भी किसी पर किसी भी समय लगाया जा सकता है।

मुन्तकिली प्रार्थना पत्र फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर निर्णित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे न्यायिक व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है एवं पीठासीन अधिकारी की साख में कमी आती है। किसी पक्षकार की आशंका मात्र से यदि प्रकरण मुन्तकिल किया जावे तो अदालतों की विश्वसनीयता पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है जो न्याय हित में उचित नहीं कहा जा सकता। बिना किसी ठोस आधार के प्रकरण को एक अदालत से दूसरी अदालत में मुन्तकिल नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आक्षेपों का समर्थन किसी स्वतंत्र साक्ष्य से नहीं करवाया गया है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का बल नहीं होने के कारण इसे खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। न्यायहित में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को यह आदेश दिया जाता है कि वह उभयपक्ष को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का परीक्षण कर लम्बित प्रकरण में यह सिद्वान्त **कि "केवल न्याय होना ही नहीं चाहिए अपितु न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए" को ध्यान में रखते हुए विधिनुसार शीघ्र निस्तारण करें।** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निणर्य की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को भिजवाई जाये। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:53:53 IST
Reason: SelfAttested

(मंजू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर